

FORM No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अतिरिक्त कोटा मुकाम

कांग्रेस के मामले बन्गल 2020/12

किस्म मुकदमा इतिहास नं. 35/ सन 20

शेखराम का शेखर अतिरिक्त 136

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-9-2020	<p>यह प्रत्येक जज की स्वकीय रिपोर्ट 25 नवंबर को प्रेषित किया। प्रत्येक पत्र अतिरिक्त के रिपोर्ट के लिए भेजा हुआ। इसे रजिस्टर किया जाये। प्रत्येक पत्र संकेत तथा निम्न प्रकार के हैं।</p> <p>प्रती ने लिखित किया कि प्रती के नाम के शाफिक खान के बाने शेही गाम बगाला के खेत ख-न 127/31 में 195/3940 ई. व ख-न 131/34 में 2740, 135/39 में 0770 ई., ख-न 136/93 में 2000 ई. मरेगा। कुल तगारी 9.4500 ई. शेखरी काफ़ी चली आ रही है जिसमें प्रती का नाम कांग्रेस पत्र अमीनाराधन एवं रिपोर्ट शेखर है। जो कि सिपिचिच मुटि है उत्तरी प्रती का वास्तविक नाम कांग्रेस के शेखर</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पर रामोब पुत्र लक्ष्मीनारायण हैं तथा
 शर्मा रिकॉर्ड इस्वी करवाकर उनका
 नाम कालुशम के स्थान पर रामोब पुत्र
 लक्ष्मीनारायण करवाना चाहते हैं जिससे वास्तु
 शर्मा द्वारा कार्यवाही गाम पन्नाल गणेश का
 दिनांक 3/8/18 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है
 एवं आगाह कार्ड निर्माण, पहचान पत्र व
 शरण कार्ड आदि प्रस्तुत किए जा शक्ति
 मिलते हैं।

इसके प्रत्येक पत्र में वर्धित तथ्यों का उल्लेख
 किया एवं उद्घाटन का उद्घाटन किया
 गया।

अतः शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण स्वीकार किया
 जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि
 ताने शर्मा गाम कलावा के शरण रिकॉर्ड
 में खेत ख.नं. 127/31 रकबा 3.740 है
 ख.नं. 131/34 में 2.740 है ख.नं. 135/37
 में 0.770 है ख.नं. 136/93 में
 2.000 है कुल तारीखी 9.4500 है शर्मा
 शर्मा में शर्मा का नाम कालुशम पुत्र
 लक्ष्मीनारायण जारी नार्ड के स्थान पर
 रामोब पुत्र लक्ष्मीनारायण जारी नार्ड यण्ड
 रिकॉर्ड में उक्त नर रिकॉर्ड इस्वी करने
 के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला-बीकानेर

तहसील (अजब) के कानून के नाम तहरीर
जारी है ।

अपेक्षा के तहत शुमार होकर बाद तहसील
तहसील इतिहास इतिहास है ।

निर्णय आज दिनांक 4.7.2020 को सुनाया

गया । 4

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर